न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 14/2024 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2024/4)

शंकरलाल पुत्र सहीराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम डाबला तहसील रायसिहनगर।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजाराम पुत्र सहीराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम डाबला तहसील रायसिहनगर ।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार रायसिहनगर।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री दाऊलाल हर्ष – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री एन.के.गांधी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 13.05.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के प्रकरण सं. 14/98 निर्णय दिनांक 11.11.2002 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के प्रकरण सं. 14/98 निर्णय दिनांक 11.11.2002 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 125 व 136 भू राजस्व अधिनियम खारिज किया गया है, के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2002 को निरस्त कर जमाबन्दी में आवश्यक दुरूस्ती करके चक 5 एल सी के उक्त रकबा के लिए रेस्पोडेन्ट सं. 1 का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर अपीलान्ट का नाम दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया ।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट, तथा हरजीराम व रामरख पिसरान भादरराम जाति विश्नोई निवासीयान 4 बी पी एस तहसील रायसिहनगर के नाम चक 2 एल सी में मुरबा नं. 56 में 20 बीघा, मुरबा नं. 64 में 5 बीघा, मुरबा नं. 57 में 4.10 बीघा, मुरबा नं. 63 में 3.13 बीघा, व चक 5 एलसी में मुरबा नं. 50

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

में 13.00 बीघा कुल 46.03 बीघा भूमि मुश्तरका तौर से थी। गत कई वर्षो से हम हिस्सेदारान इस भूमि को आपस में बाहमी विभाजन करके काश्त कर रहे थे, परन्तु फिर भी कई बार विवाद उत्पन्न हो जाते थे, इसलिए हम सब ने मिलकर गत भू–प्रबन्धन के समय इस भूमि का बंटवारा करके अलग–अलग नामो से अमल दरामद करने के लिये भू–प्रबन्ध अधिकारी को निवेदन किया और काश्त की सहूलियत के लिये एकीकरण करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र की मद के अनुसार बटवारा कर दिया। इस प्रकार समस्त हिस्सेदारान ने अपनी सहमति से भूमि का विभाजन कर लिया ओर गैरसायल सं. 1 ने चक 5 एलसी के मु.नं. 50 की अपने हिस्से भूमि की बजाय चक 2 एलसी के मु. नं. 56 में अपना हिस्सा ले लिया। परन्तु 5 एलसी के मु.नं. 50 की भूमि अभि तक उसकी नाम से कागजात राज मे दर्ज होती आ रही है। उक्त विभाजन के आदेश के अनुसार पर्ची खतौनी तो तैयार हो गया, परन्तु इसका अमल दरामद जमाबन्दी मे नही किया गया। अपीलान्ट को बंटवारा में मिला रकबा जमाबन्दी में ना होने पर अदालत मातहत मे धारा 125 व 136 राजस्थान लैण्ड रेवन्यु एक्ट में दुरूस्ती रिकार्ड का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे खारिज कर दिया गया। अदालत मातहत ने बयान व सबूत के बारे में कोई विवेचन अथवा विश्लेषण नही किया, सबूत से यह स्पष्ट था कि मुरबा नं. 50 का उक्त रकबा अपीलान्ट के हिस्सा व कब्जा मे है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय जैर अपील मातहत निरस्त करने व प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जमाबन्दी मे आवश्यक दुरूस्ती करके चक 5 एल सी के उक्त रकबा के लिए रेस्पोडेन्ट सं. 1 का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर अपीलान्ट का नाम दर्ज करने का आदेश फरमावें

रेस्पोडेन्ट सं. 1 के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस/रूलिंग्स पेश कर अंकित किया कि उप जिलाधीश रायसिहनगर दिनांक 11.11.2002 के द्वारा शंकरलाल का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 125 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत दुरूस्ती रेकार्ड निरस्त किया गया है। शंकरलाल की ओर से जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसमे सेटलमेंट मे हुए खाता विभाजन को आधार बनाया गया है जबकि सेटलमेंट ऑफिसर्स को खाता विभाजन करने का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कतई अधिकार नही है। जब उन्हे अधिकार ही नही है तो उसके आधार पर कोई कार्यवाही नही की जा सकती है। आदेश दिनांक 11.11.2002 पारित किये जाने के बाद शंकरलाल की तरफ से रेगुलर सूट भी किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट शंकरलाल का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 125 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत दुरूस्ती रेकार्ड सही तौर से निरस्त किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील निरस्त की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी द्वारा भू–प्रबन्ध के समय तैयार पर्चा लगान अनुसार जमाबंदी मे दुरूस्ती चाही है जो कि धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के दायरे में नही आता है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा L.Rs. of Teja v. Badri & ors. - (74) Revision No. 125/ Jaipur of 95, decided on 19th Dec., 1997. मे मत प्रकट किया है कि

"Settelement authorities are not empowered to alter or modify the extent of notional share of co-tenants even by consent of parties - Alienation is possible after partition u/s 53 - Settlement authority has reduced the notional share of 'T' & 'N' in the joint holding without jurisdiction- Non petitioner cannot be allowed to alienate the land in question - Order of RAA set aside and order of trial court restraining defendants from alienating the land, restored. " प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार अपील में वर्णित भूमि का अपीलान्ट द्वारा नियमित वाद भी अधीनस्थ न्यायालय में हस्तगत प्रार्थना पत्र के अधीनस्थ न्यायालय में निस्तारण पश्चात दायर कर दिया गया है। उक्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिहनगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.11.2002 में हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है। अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.11.2002 को यथावत रखा जाता है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तदनुसार **अपील** निर्णित शुमार **हो**। पत्रावली नम्बर **से** कम होकर सुव्यवस्थित **रखी** जावे। निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को लिखवाया **जाकर खुले** न्यायालय **में** सुनाया **गया**।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर